निदेशालय, गृह रक्षा, राजस्थान

जलेब चौक,जयपुर।

फोन :– 0141–2612591,फैक्स: 0141–2612592, ई–मेल ssofrajhg@hotmail.com
Website : http://home.rajasthan.gov.in/homeguards

क्रमांकः– गृरमु / स्था / ई–1 ( )2014 / 3215-59 दिनांकः 11/2/19

आदेश

प्रायः देखने में आया है कि अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थापित समादेष्टा / उप समादेष्टा निदेशालय को बिना सूचित किये / बिना अवकाश स्वीकृत कराये अपना मुख्यालय छोड देते है, जो उचित नही है।

इस संवंध में निर्देशानुसार निम्न निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. समादेष्टा / उप समादेष्टा किसी भी परिस्थिति में अवकाश पर रवानगी से पूर्व, लिखित रूप से अवकाश स्वीकृत करायें बिना मुख्यालय नही छोडेगे।
2. समादेष्टा / उप समादेष्टा राजकीय कार्य से मुख्यालय छोडने की स्थिति में अपना दौरा / भ्रमण कार्यक्रम निदेशालय से अनुमोदित करवायेगे, बिना अनुमोदन के मुख्यालय नही छोडेगे।
3. समादेष्टा / उप समादेष्टा यदि किसी राजकीय कार्य से जयपुर आते है तो वे श्रीमान् महासमादेष्टा महोदय से आवश्यक रूप से मिलेगे तथा अपने यूनिट कार्यलय की कार्य प्रगति इत्यादि के बारे में महासमादेष्टा महोदय को अवगत करावेगे। साथ ही निदेशालय में पदस्थापित उच्च अधिकारियों से भी सम्पर्क कर अपने यूनिट से सम्बन्धित बकाया प्रकरणों एवं प्रस्तावों से अवगत करवायेगे।

उक्त निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावें। निर्देशों की पालना नही करने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

ई0ओ0बी0 25

(यू.आर.साहू)
अति0 महानिदेशक, पुलिस
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा मुख्यालय, जयपुर।
2. उप, समादेष्टा, प्रथम / द्वितीय, गृह रक्षा मुख्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, जयपुर।
4. सीनियर स्टाफ ऑफिसर, गृह रक्षा, मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा, दल, राजस्थान।
6. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, विभागीय बैवसाईट हेतु।

अति0 महानिदेशक, पुलिस
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।

Scanned by CamScanner